एम. आर. अग्निहोत्री जे. के समक्ष

मदन लाल कोहली, याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य लघु सिंचाई ट्यूबवेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एम.आई.टी.सी.), चंडीगढ़ और एक अन्य, *उत्तरदाता।*

सिविल रिट याचिका सं. 1989 का 16690 ।

1 फरवरी, 1991।

भारतीय रोजगार स्थायी आदेश, - हरियाणा राज्य एमआईटी निगम के प्रमाणित स्थायी आदेश, दिनांक 3 सितंबर, 1986 *- खंड 16-A - सेवानिवृत्ति की आयु - खंड 16-A - खंड 16-A* की व्याख्या - *नियमित कर्मकारों के मामले में* 58 वर्ष और सरकार *और अस्थायी वर्कचार्ज और नियमित वर्कचार्ज कर्मकार* के चतुर्थ श्रेणी के नियमित कर्मकारों के मामले में *60 वर्ष की सेवानिवृत्ति* की *आयु का प्रावधान करता है - नियमित तृतीय श्रेणी के कर्मकारों को 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने का अधिकार है - नियमित कर्मकार और नियमित* कार्यभारित कर्मकार *- भेद - निगम* को तृतीय श्रेणी की सेवा में नियमित कार्यभारित कर्मकार *को* नियमित कर्मकारों के रूप में व्यवहार करने और 58 *वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करने का अधिकार नहीं है - ऐसे* कार्यभारित *कर्मकारों को सेवानिवृत्त करने का* आदेश अवैध है - ऐसे कर्मकारों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने

का अधिकार है/

यह माना गया है कि हरियाणा राज्य एमआईटी निगम के प्रमाणित स्थायी आदेशों के खंड 16-ए को पढ़ने के लिए कोई वारंट नहीं है, जिसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के दूसरे सेट से नियमित कर्मकारों की अंतिम श्रेणी को निकाला जाए और 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें सेवानिवृत्त होने पर नियमित कर्मकारों की पहली श्रेणी में शामिल किया जाए। केवल यह तथ्य कि याचिकाकर्ता और इसी तरह के अन्य व्यक्ति तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं, उन्हें 60 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने के उनके अधिकार से वंचित करने का कोई आधार नहीं है, जबकि वे नियमित रूप से काम करने वाले कामगार हैं, न कि नियमित आधार पर तृतीय श्रेणी के कर्मचारी। पारस्परिक रूप से अनन्य खंड के रूप में मानते हुए दो अलग-अलग खंडों को अलग-अलग पढ़ा जाना चाहिए और सेवानिवृत्ति की अलग आयु होनी चाहिए। इसलिए यह माना जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता और नियमित कार्यभारित कर्मकार की श्रेणी से संबंधित अन्य कामगार अधिवषता की आयु अर्थात 60 वर्ष प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त होंगे और 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त नहीं होंगे।

(पैरा 5 और 8)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि याचिकाकर्ता को निम्नलिखित राहत दी जाए: -

i. *मामले के रिकॉर्ड मंगाए जाएं और उसके अवलोकन के बाद* उप-विभागीय अधिकारी विद्युत दुकान, उप-मंडल, एम.आई.टी.सी. करनाल द्वारा

पारित अनुलग्नक पी-2 *के 3 नवंबर, 1989 के आदेश कि* याचिकाकर्ता को *58 वर्ष की आयु में सेवा से सेवानिवृत्त करने का प्रस्ताव किया गया था और प्रतिवादी संख्या 2 अनुलग्नक 'पी/5' द्वारा पारित 20 नवंबर, 1989 के* आदेश में प्रबंध निदेशक, एम.आई.टी.सी., प्रतिवादी संख्या 1 के याचिकाकर्ता *को 31* दिसंबर, *1989* को सेवा से सेवानिवृत्त करने के निर्णय से अवगत *किया जाए को रद्द करने के लिए एक रिट दायर की जाए:*

ii. *उत्तरदाताओं को उल्लिखित आदेशों को प्रभावी करने से रोकने के लिए आदेश जारी किए जाएं;*

iii. *याचिकाकर्ता को 60* वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सेवा में बने रहने की अनुमति देने के लिए प्रतिवादी *को परमादेश* की रिट *जारी की जाए;*

iv. इस माननीय न्यायालय के साथ एक विशेष रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जा सकता है जो मामले की परिस्थितियों में उचित समझे;

v. अनुलग्नक *की 'P/1' से P/5 की* प्रमाणित प्रतियों *को* भरना *हटा दिया जाए;*

vi. *उत्तरदाताओं को अग्रिम नोटिस की सेवाएं भी समाप्त की जा सकती हैं;*

vii. *इस रिट याचिका की लागत याचिकाकर्ता को दी जा सकती है;*

और

आगे यह प्रार्थना की जाती है *कि रिट याचिका की सुनवाई लंबित होने तक, आक्षेपित आदेशों के संचालन पर रोक लगाई जाए।*

याचिकाकर्ता की ओर *से अधिवक्ता यू.एस.साहनी।*

एडवोकेट ए. एस. चौधरी के साथ एडवोकेट जनरल एस.सी. मोहंता *उत्तरदाता के लिए ।*

निर्णय

एम.आर. अग्निहोत्री, जे.

1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति की आयु के बारे में है, जिसकी प्राप्ति पर याचिकाकर्ता और इसी तरह स्थित व्यक्ति हरियाणा राज्य लघु सिंचाई ट्यूबवेल निगम लिमिटेड चंडीगढ़ की सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

2) याचिकाकर्ता 2 अगस्त, 1958 को पंजाब के समग्र राज्य में लोक निर्माण विभाग की सिंचाई शाखा में कार्य-प्रभार के आधार पर चार्जमैन के रूप मेंसेवा में शामिल हो गए। वर्ष 1970 में, हरियाणा राज्य लघु सिंचाई ट्यूबवेल निगम लिमिटेड (इसके बाद 'निगम' के रूप में संदर्भित) का गठन किया गया था, और याचिकाकर्ता अप्रैल, 1970 में निगम में शामिल हो गया। याचिकाकर्ता और निगम के रोल में शामिल अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें प्रमाणित स्थायी आदेशों द्वारा शासित होती हैं जो निगम पर लागू किए गए हैं- प्रमाणन अधिकारी और उप श्रम आयुक्त, हरियाणा द्वारा जारी दिनांक 3 सितंबर, 1986 के पत्र के माध्यम से, उपर्युक्त स्थायी आदेशों के खंड 3 में निगम के "कर्मचारियों" को निम्नानुसार विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: –

कर्मकारों का वर्गीकरण

कर्मकारों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा:-

(अ) स्थायी/नियमित कर्मकार।

(आ) परिवीक्षाएं।

(इ) नियमित रूप से काम करने वाले कामगार।

(ई) अस्थायी/कार्यभारित कर्मकार ।

(उ) आकस्मिक कामगार।

(ऊ) प्रशिक्षुओं।

"(a) 'स्थायी/नियमित कर्मकार' से ऐसा कर्मकार अभिप्रेत है जो नियमित पद पर नियमित रूप से नियोजित किया गया हो और जिसमें केवल ऐसे व्यक्ति शामिल हों जो किसी नियमित पद पर नियोजित हों और नीचे उपखंड (b) के अनुसार नियमित किए गए हों।

(b) एक 'परिवीक्षार्थी' वह कामगार होता है जिसे नियमित पद में रिक्ति को भरने के लिए अनंतिम रूप से नियोजित किया जाता है और इन स्थायी आदेशों के अनुसार लिखित में एक आदेश द्वारा नियमित नहीं किया गया है। सामान्यतया परिवीक्षा की अवधि छह माह की होगी लेकिन यदि संबंधित कर्मकारों के कार्य का आगे मूल्यांकन करना आवश्यक समझा जाए तो इसे प्रबंधक/प्रबंधक के विवेकानुसार समय-समय पर

बढ़ाया जा सकता है।

यदि कोई नियमित कामगार किसी नए पद या रिक्ति में परिवीक्षाधीन के रूप में नियोजित है और परिवीक्षा के दौरान उसका कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो वह मूल रूप से निर्धारित या बाद में विस्तारित परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान किसी भी समय पुराने मूल पद पर वापस कार्य कर सकता है। हालांकि, यदि कामगार को नए पद पर नियमित किया जाता है, तो वह अपने पुराने पद पर अपना ग्रहणाधिकार खो देगा।

(c) 'नियमित वर्कचार्ज वर्कमैन' एक कामगार होता है जिसे निगम द्वारा निर्धारित नियमित वर्कचार्ज पद पर नियुक्त किया जाता है और इसमें एक परिवीक्षाधीन वर्कचार्ज शामिल होता है, जिसे ऊपर खंड (b) के अनुसार नियमित किया गया हो। ऐसे कर्मकारों का वेतन कार्यों के लिए प्रभारित किया जाता है।

(आ) 'अस्थायी/वर्कचार्ज्ड वर्कमैन' वह कामगार होता है जिसे अनिवार्य रूप से अस्थायी प्रकृति के कार्य पर सीमित या विशिष्ट अवधि के लिए नियुक्त किया गया हो या काम में अस्थायी वृद्धि के संबंध में नियोजित किया गया हो और इसमें एक वर्कचार्ज कर्मचारी शामिल होता है।

(e) एक 'आकस्मिक कर्मकार' एक कामगार होता है जो आकस्मिक प्रकृति के किसी भी कार्य के लिए नियोजित होता है और इसमें मस्टर रोल या दैनिक आधार पर नियोजित कामगार शामिल होता है।

(f) एक 'अपरेंटिस' एक शिक्षार्थी है जो एक निर्दिष्ट अवधि जिसे शिक्षुता के अनुबंध में व्यक्त किया जाना है, के लिए शिल्प के नौकरी व्यापार में प्रशिक्षण के लिए लगा हुआ है, भले ही उसे प्रशिक्षण अवधि के लिए वजीफा दिया जाए या नहीं, और प्रतिष्ठान में उसके बाद के अवशोषण की समझ के बावजूद या नहीं।

स्थायी आदेशों के खंड 16-A में कर्मकारों की अधिवषता की आयु प्राप्त करने पर निम्नलिखित शर्तों में सेवानिवृत्ति का प्रावधान है -

16-A : सेवानिवृत्ति: नियमित कर्मकारों के मामले में 58 वर्ष और नियमित कर्मकारों के मामले में चतुर्थ श्रेणी के दर्जे के सरकार के और अस्थायी कार्यभारित और नियमित कार्यभारित कर्मकार 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होंगे। तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सरकारी सेवा में चतुर्थ श्रेणी के दर्जे के को छोड़कर किसी भी कामगार को सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार है,

यदि उसका कार्य पूर्णतया संतोषजनक नहीं पाया जाता है। ऐसे कामगार को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने या उसके बाद सेवानिवृत्त होने का अधिकार भी उपलब्ध है।"

3) माना जाता है कि याचिकाकर्ता एक नियमित कामगार था और इस प्रकार, वह 60 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने की उम्मीद कर सकता था, लेकिन 3 नवंबर, 1989 को उसे निगम द्वारा सूचित किया गया था कि "वह प्रमाणित मॉडल स्थायी आदेश के अनुसार इस उप-मंडल से 13 दिसंबर, 1989 (ए.एन.) को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने जा रहा है"- *M.D. पत्र संख्या 29757-837/Admn./V/WE-113* दिनांक 6 अक्टूबर, 1986*के तहत*। इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने निगम के समक्ष 60 वर्ष की आयु अर्थात 31 दिसम्बर, 1991 तक सेवा में बने रहने की अनुमति देने का अनुरोध किया। निगम के कार्यशाला सकल के अधीक्षण अभियंता द्वारा इस अभ्यावेदन की जांच की गई और गहन विचार के बाद मुख्य अभियंता को यह सिफारिश की गई कि अभ्यावेदन वास्तविक है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि यह प्रमाणित स्थायी आदेशों के प्रावधानों के अनुसार है। इस स्थिति की पुष्टि करने के लिए एक अनुरोध किया गया था ताकि नियमित रूप से काम करने वाले कर्मकारों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष की प्राप्ति पर हो। तथापि, निगम के प्रबंध निदेशक ने 20 नवम्बर, 1989 को निर्णय

लिया कि याचिकाकर्ता को अधिवषता अर्थात् 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किया जाना है। इसके खिलाफ व्यथित, याचिकाकर्ता ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है जिसमें दावा किया गया है कि वह एक नियमित वर्कचार्ज कर्मचारी होने के नाते 60 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने का अधिकार है।

4) जवाब दावा में, निगम ने दलील दी है कि स्थायी आदेशों के खंड 16-A का इरादा एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 60 वर्ष की आयु में और एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करना था, और चूंकि याचिकाकर्ता तृतीय श्रेणी कर्मचारी था, इसलिए उसे 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त किया जाना था।

5) याचिकाकर्ता के वकील और निगम की ओर से पेश हुए हरियाणा के एडवोकेट जनरल श्री एस.सी. मोहंता को सुनने के बाद, मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता की दलील सही है और रिट याचिका को अनुमति दी जानी चाहिए; जितना कि याचिकाकर्ता, जो एक नियमित कार्य-प्रभारित कामगार है, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर निगम की सेवा से सेवानिवृत्त होगा, न कि 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद और निगम द्वारा लिया गया विपरीत दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत है। याचिकाकर्ता और इसी तरह स्थित अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को नियंत्रित करने वाले प्रमाणित स्थायी आदेशों के खंड 16-A को पढ़ने से पता चलता है कि सभी नियमित

कामगार *सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त होंगे, अर्थात 58 वर्ष, और* चतुर्थ श्रेणी सेवा में नियमित कामगार साथ ही *अस्थायी वर्कचार्ज* और *नियमित वर्कचार्ज किए गए कामगार* 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होंगे। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के दूसरे समूह से नियमित *कर्मकार कर्मकारों* की अंतिम श्रेणी को हटाकर और 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने पर उन्हें सेवानिवृत्त करने के लिए नियमित कर्मचारियों की पहली श्रेणी में शामिल करके इस खंड को पढ़ने का कोई वारंट नहीं है । याचिकाकर्ता और इसी तरह के अन्य व्यक्ति तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं, उन्हें 60 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने के उनके अधिकार से वंचित करने का कोई आधार नहीं है, जबकि वे नियमित रूप से *कामगार हैं*, न कि नियमित आधार पर तृतीय श्रेणी के कर्मचारी। दो अलग-अलग खंडों को अलग-अलग पढ़ा जाना चाहिए और उन्हें पारस्परिक रूप से अनन्य खंड मानते हुए सेवानिवृत्ति की अलग-अलग आयु के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

6) हरियाणा के एडवोकेट-जनरल श्री एस.सी. मोनहंता ने याचिकाकर्ता और अन्य श्रमिकों की सेवानिवृत्ति को इस आधार पर सही ठहराने की मांग की कि चूंकि राज्य सरकार के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष निर्धारित की गई है, इसलिए याचिकाकर्ता और निगम में

सेवारत व्यक्तियों को अधिक लाभप्रद स्थिति में नहीं रखा जा सकता है।

7) इस संबंध में, प्रमाणित स्थायी आदेशों के खंड 16-A की व्याख्या करते समय एडवोकेट जनरल द्वारा ली गई दलील लागू नहीं होती है क्योंकि सबसे पहले, निगम के कर्मचारी के रूप में याचिकाकर्ता सरकारी कर्मचारी नहीं है और वह संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए वैधानिक नियमों द्वारा शासित नहीं है, और दूसरी बात, क्योंकि याचिकाकर्ता प्रमाणित स्थायी आदेशों के खंड 16-A द्वारा शासित है, वह "कामगार" की श्रेणी में शामिल है। कामगारों की विभिन्न श्रेणियों के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के अनेक न्यायिक निर्णय हैं, जिनमें कतिपय संगठनों के कर्मकारों के मामले में अधिवषता की आयु 60 वर्ष बरकरार रखी गई है, जबकि समान कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले और उसी वर्ग से संबंधित सरकारी कर्मचारियों के मामले में यह आयु 58 वर्ष है। प्राधिकरण के लिए, *आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, हैदराबाद बनाम जोसेफ बरनद और अन्य*[1], *रतन सिंह* बनाम *संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, चंडीगढ़, और एक अन्य*[2], *श्यामदेव* बनाम *भारत संघ और अन्य*[3], *डॉ सुरेंद्र कुमार शुक्ला* बनाम *भारत संघ और अन्य*[4] *और भारत संघ और अन्य* बनाम *एल वेंकटरमन आदि*[5], *को संदर्भ दिया जा सकता* है।

[1] 1982(1) S.L.R. 617.
[2] 1984(3) S.L.R. 817.
[3] 1983 Lab. I.C. 483.
[4] 1986 Lab. I.C. 1516.
[5] J.T. 1990 (2) SC 90.

(8) परिणामस्वरूप, मैं इस रिट याचिका को स्वीकार करता हूं और यह मानता हूं कि याचिकाकर्ता और *नियमित कर्मकारों* की श्रेणी से संबंधित अन्य कर्मकार अधिवषता की आयु अर्थात 60 वर्ष प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त होंगे और 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त नहीं होंगे। चूंकि याचिकाकर्ता 31 दिसंबर, 1991 को अधिवषता की आयु प्राप्त कर रहा होगा, और 3 नवंबर, 1989 (अनुबंध पीc-2) के आक्षेपित आदेश के अनुसरण में गलत तरीके से सेवा से सेवानिवृत्त किया गया है, इसलिए उसे तुरंत सेवा में वापस ले लिया जाएगा, और वह वेतन और भत्तों आदि के सभी बकाया के हकदार होंगे, जिनके वह हकदार होते, यदि वह उक्त आदेश के अनुसरण में सेवा से सेवानिवृत्त नहीं होता, इस रिट याचिका की स्वीकृति के परिणामस्वरूप, दिनांक 3 नवम्बर, 1989 (अनुलग्नक पी-2) और 20 नवम्बर, 1989 (अनुलग्नक पी-5) के आक्षेपित पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अंकिता गुप्ता
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
बिलासपुर यमुनानगर

आर.एन.आर.

ए. बी. बहरी से पहले, जे।

पंजाब नेशनल बैंक - *याचिकाएं,*

बनाम

राजेश कुमार जैन और अन्य, *उत्तरदाता।*

सिपिल संशोधन सं. 1990 का 2048।

11 फरवरी, 1991।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का V)-O. 21, *rl.* 9(0)- *किसी व्यक्ति की गलती के निष्पादन के लिए पक्षकार न होना■ न्यायालय द्वारा खारिज की गई धोखाधड़ी के आधार पर बिक्री को रद्द करने की कार्यवाही - ऐसा आदेश अपील योग्य है - सीमा का कोई सवाल ही नहीं उठता है - धोखाधड़ी की दलील* केवल तभी उठाई जा सकती है जब यह धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति के ज्ञान में आता है - सबूतों पर निर्धारित किया जाना - धोखाधड़ी की दलील को ढेर करने का अवसर दिए बिना सरसरी तौर पर निपटाया नहीं जा सकता है।

(एक) 1936 Lab. IC. 1516.

(दो) जे.टी. 1990 (2> एस.सी.